सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट-दिनांक 05.08.2026

- **संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध इटावा पुलिस की प्रभावी कार्रवाई।**
- **गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की अवैध रूप से अर्जित लगभग 62 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को धारा 14(1) के अंतर्गत किया गया कुर्क।**

जनपद में संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना बकेवर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए उसकी अवैध रूप से अर्जित लगभग 62 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को नियमानुसार कुर्क किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

थाना भरथना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 46/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त बबलू पुत्र रामदास निवासी विष्णुपुरा, थाना बाह, जनपद आगरा के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की थानाध्यक्ष बकेवर द्वारा विवेचना की जा रही थी। दौराने विवेचना अभियुक्त बबलू उपरोक्त के नाम तहसील बाह क्षेत्रान्तर्गत स्थित आवासीय प्लॉट/अचल संपत्ति को अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया।

उक्त प्रकरण में श्रीमान जिलाधिकारी बाह, जनपद आगरा के द्वारा दिनांक 05.08.2026 को उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत अभियुक्त की लगभग 62 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को नियमानुसार कुर्क किए जाने की कार्रवाई की गई है।

कुर्की की कार्रवाई के दौरान नियमानुसार मुनादी कराई गई तथा संबंधित संपत्ति पर कुर्की आदेश की उद्घोषणा/नोटिस चस्पा करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई।

कुर्क करने वाली टीमः- तहसीलदार बाह श्री सम्पूर्ण कुलश्रेष्ठ, राजस्व निरीक्षक बाह, थानाध्यक्ष बकेवर श्री विपिन मलिक, का0 अपिल कुमार. का0 अरुण कुमार, का0 सतीश कुमार, म0का0 कीर्ति नन्दनी गौर, म0का0 दीक्षा।

इटावा पुलिस द्वारा संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है।